न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 अजमेर

पीठासीन अधिकारीः सुश्री तन्वी माथुर, आर0जे0एस0

फौजदारी प्रकरण सं0 827/19 (17/13)

सी0आई0एस नंबरः 3138/19

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी।

------परिवादी

बनाम

मैसर्स पूनम ट्रेडर्स पीर मीठा गली लक्ष्मी चौक अजमेर जरिये हेमन्त पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह बुरड।

------अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 15 सहपठित धारा 19 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

उपस्थितः

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते उपखण्ड अधिकारी।
2. श्री एन.के. वर्मा, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

::निर्णय:: **दिनांकः 18.08.2022**

1. यह प्रकरण श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश से विविधत निस्तारण हेतु अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग नं. 5 अजमेर से न्यायालय हाजा को अंतरित होकर दिनांक 05.12.2019 को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 के द्वारा, पर्यावरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेडी वाला सम्मिलित हैं, माल के प्रदाय के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा और न ही कोई व्यक्ति 1 अगस्त, 2010 से राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भण्डारण आयात, विक्रय या परिवहन करेगा। राज्य मण्डल के प्रवर्तन निरीक्षण अजमेर श्री राकेश कुमार शर्मा एवं श्री सत्यनारायण स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम अजमेर व श्री प्रवीण कुमार नायब तहसीलदार अजमेर के साथ परिवादी के द्वारा दिनांक 01.07.2011 को

अभियुक्त के संस्थान पूनम ट्रेडर्स पीर मीठा गली लक्ष्मी चौक अजमेर श्री हेमन्त बुरड पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह बुरड निवासी आर.के.पुरम प्लॉट नं. 22 अजमेर की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दुकान पर प्रतिबंधित प्लास्टिक पैकिंग की थैलिया रखी गई थी। निरीक्षण के दौरान परिवादी द्वारा 158 किलो 900 ग्राम प्लास्टिक पैकिंग मैटेरियल नियमानुसार सीज किये गये। अभियुक्त ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 की अवहेलना एवं पर्यावरण अधिनियम और प्लास्टिक नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया.....इत्यादि।

2. परिवाद पत्र पेश होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 15 सहपठित धारा 19 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अभियुक्त को नियमानुसार तलब किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 15 सहपठित धारा 19 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उन्हें सुन व समझ कर अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्लू 1 हेमन्त स्वरूप माथुर, पी.डब्लू 2 राकेश शर्मा, पी.डब्लू 3 सत्यनारायण शर्मा, व पी.डब्लू 4 प्रवीण कुमार को परीक्षित कराया गया। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 परिवाद, प्रदर्श पी 2 फर्द निरीक्षण व जब्ती, प्रदर्श पी 3 नक्शा मौका, प्रदर्श पी 4 गवाहान बयान प्रदर्शित कराया गया।

6. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना तथा स्वयं का निर्दोष होना व उसे झूंठे फंसाये जाने का कथन किया है। साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करनी चाही पंरतु साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं की गयी।

7. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्कपूर्ण निवेदन किया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 15 सहपठित धारा 19 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 पूर्णतया संदेह से परे साबित है, अतः अभियुक्त को विधिनुसार दोषिसद्ध कर दण्डित किया जावे। उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि अभियुक्त को इस प्रकरण में पूर्ण रूप से झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा द्वारा प्रस्तुत गवाह के बयानात से

अभियोजन कहानी की संदेह से परे पुष्टि नहीं होती है। अतः निवेदन किया कि अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध के तहत दोषमुक्त किया जावे।

8. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नवत उत्पन्न होते हैं कि-

1. क्या अभियुक्त के संस्थान पूनम ट्रेडर्स पीर मीठा गली लक्ष्मी चौक अजमेर से दिनांक 01.07.2011 को किसी समय 158 किलो 900 ग्राम प्लास्टिक पैकिंग मैटेरियल बरामद किए गए जो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21-7-2010 को जारी अधिसूचना एवं प्लास्टिक विनिर्माण, विक्रय एवं उपयोग नियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 सहपठित धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन है?

2. यदि हाँ तो उचित दण्ड क्या होगा?

9. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाए गए।

10. हस्तगत प्रकरण में गवाह पी.डब्लू 1 हेमन्त स्वरूप माथुर द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.07.2011 को वह एसडीओ, अजमेर के पद पर पदस्थापित था। प्लास्टिक की थैलियां एवं अन्य सामग्री स्टॉक करने व विक्रय करने की सूचना पर पूनम ट्रेडर्स की दुकान पर वे पहुंचे। वहां पर 158 किलो 900 ग्राम प्लास्टिक पैकिंग मैटेरियल पाया गया जो प्रतिबंधित होने के कारण सीज किया जाकर नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक सत्यनारायण शर्मा को सुपुर्द किया गया। परिवाद प्रदर्श पी 1, फर्द निरीक्षण प्रदर्श पी 2, व नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 हैं जिन पर उसके हस्ताक्षर है। सत्यनारायण शर्मा, प्रवीण कुमार, व नायब तहसीलदार अजमेर के भी बयान लिए गए जो शामिल पत्रावली प्रदर्श पी 4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से की गई जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि यह गलत है कि उसे उपखण्ड अधिकारी अजमेर में दिनांक 01.07.2011 को निरीक्षण व सीज करने के पावर नहीं हो एवं

दिनांक 31.08.2012 को परिवाद पेश करने के अधिकार नहीं हो। परिवाद के साथ संलग्न सूची दस्तावेज में अंकित केंद्र सरकार की अधिसूचना के अधीन जब्ती नहीं की थी। अपितु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 के अनुसार की थी। यह सही है कि परिवाद के पैरा नम्बर 4 में दिये नियम 1999 के रूल्स उन्होंने परिवाद के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। यह सही है कि जब्तशुदा सामान डॉ. सत्यनारायण शर्मा को सुपुर्द साक्ष्य की दृष्टि से दिया गया था। जब्तशुदा माल को सीलचिट किया गया या नहीं इस बाबत जानकारी उसे नहीं है। यह कहना गलत है कि उनके द्वारा जब्त किया गया प्रतिबंधित पैकिंग मैटेरियल अथवा प्रतिबंधित कैरी बैग की श्रेणी में आता हो।

11. हस्तगत प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीडब्लू 2 राकेश शर्मा है। गवाह ने यह कथन किया है कि दिनांक 01.07.2011 को हेमन्त स्वरूप माथुर, प्रवीण कुमार, सत्यनारायण द्वारा पीर मीठा वाली के चौक में स्थित मै. पूनम ट्रेडर्स की जांच की गयी। वक्त जांच दुकान हेमन्त बूरड उपस्थित थे जो अपने आपको दुकान का मालिक होना बताया। दुकान पर स्टेशनरी पत्तल दोने व प्लास्टिक मैटेरियल व थैलियों का भण्डारण विक्रय हेतु पाया गया जिनको तोलने पर 1 क्विंटल 58 किलो 900 ग्राम होना पाया। प्लास्टिक व थैलियों को सीज कर सत्यनारायण स्वास्थ्य निरीक्षक अजमेर को सुपुर्द की थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3, फर्द निरीक्षण व जब्ती प्रदर्श पी 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

उक्त गवाह से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि जिस दिनांक को प्लास्टिक मैटेरियल जब्त किया उस दिन कौनसे कानून लागू थे प्लास्टिक मैटेरियल के संबंध में। जब्ती की कार्यवाही एसडीओ साहब ने की थी। जब्ती संबंध कार्यवाही में उसे अधिकारी नहीं थे। वह वहां एसडीओ साहब के मौखिक आदेश से गया था। वह नहीं बता सकता कि 158 किलो 900 ग्राम सामान में कितनी थैलियां थी और कितने कैरीबैग थे। प्रदर्श पी 2 के पैरा 4 का ए से बी भाग उसने पढ़कर हस्ताक्षर किए थे। यह कहना गलत है कि जब्त माल में एक भी प्लास्टिक कैरी बैग नहीं है। कैरी बैग से उसका तात्पर्य सामान रखकर उसे पकड़कर लाने वाली बैग से है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 2 में यह कहीं नहीं लिखा है कि जो सामग्री जब्त की गई थी उसको सील्ड मोहर नहीं किया गया था। यह सही है कि उक्त प्रकरण में उन्होंने शॉप एक्ट का अपराध नहीं पाया।

12. प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्लू 3 सत्यनारायण शर्मा द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.07.2011 को नगर निगम कार्यालय में तात्कालिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रहलाद स्वरूप भार्गव के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ कि एसडीओ हेमन्त स्वरूप माथुर के पास जाकर अपनी उपस्थिति देवे। वहां से उनके साथ पूनम ट्रेडर्स पीर मिठा गली गये। वहां एसडीओ साहब द्वारा प्रतिबंधित जैसा एसडीओ साहब ने बताया पॉलीथीन की थैलियां जब्त की। फर्द निरीक्षण व जब्ती प्रदर्श पी 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसकी मौजूदगी में बनाया गया जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में पॉलीथीन की थैलियां जब्त करने बाबत कानून का ज्ञान उसे है। उसे जानकारी नहीं है कि उस दिन कौनसे कानून के तहत पॉलीथीन जब्त की गई थी। पैकिंग मैटेरियल में प्लास्टिक के थान व बारडाना आदि सम्मलित है। वह आज नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी 2 में अंकित प्लास्टिक पैकिंग मैटेरियल कौनसा था। जिसमें कोई भी आईटम कैरी कर के ले जाया जा सके उसे थैलियां कहते है जिसमें पकड़ने का हो। नियम 1999 में पेज नं. 7 पर जो दो प्रकार की थैलियां दर्शित है वो कैरी बैग है। प्रदर्श डी 1 देखकर गवाह ने बताया कि वर्तमान में कैरी बैग नहीं है परंतु उसे कैरी बैग बनाया जा सकता है। वह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी 2 मे अंकित थैलियां प्रदर्श डी 1 जैसी थैलियां हो या नहीं। वह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी 2 में जब्त थैलियों में से एक भी कैरी बैग नहीं हो अज खुद कहा कि आज उसे ध्यान नहीं है। जब्त थैलियां जब जब्त की थी उसके बाद उसने उन्हें नहीं देखा और वह नहीं बता सकता कि वर्तमान में यह कहां है। वह आज नहीं बता सकता कि जब्त सामान में कितना तोल पैकिंग मैटेरियल का था और कितना तोल प्लास्टिक की थैलियों का था। आज नहीं बता सकता कि उक्त जब्त माल को किस बोरी या कपड़े में सील्ड मोहर किया गया था या नहीं। प्रदर्श पी 2 में अंकित प्लास्टिक पैकिंग मैटेरियल व थैलियां दोनों के भण्डारण का अपराध था। वह आज नहीं बता सकता कि किस विधि या कानून के अंतर्गत यह अपराध की श्रेणियों में आता है। यह कहना गलत है कि उक्त प्रकरण में कोई अपराध नहीं हुआ हो।

13. गवाह पी.डब्लू 4 प्रवीण कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 01.07.2011 को नायब तहसीलदार अजमेर

के पद पर कार्यरत था। उस दिन उन्होंने प्लास्टिक की पैकिंग की थैलियों से पूनम ट्रेडर्स के यहां से जब्त किया था। उक्त थैलियां लगभग 158 किलोग्राम के आसपास जब्त की थी। उक्त थैलियां जब्त करके नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक को सुपुर्द की गई थी। फर्द निरीक्षण एवं फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 है, नजरी नक्शा प्रदर्श पी 3 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त कार्यवाही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई थी।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि वह नहीं बता सकता कि ये प्रतिबंध थैली है या पैकिंग मैटेरियल है। प्रतिबंधित थैली व प्लास्टिक मैटेरियल थैली में अंतर वह नहीं बता सकता। कौनसे रूल्स के तहत कार्यवाही की गई उसे नहीं पता। रूल्स राजस्थान सरकार के थे। उस समय अजमेर में कौन से नियम लागू थे उसे याद नहीं। उसे नहीं पता कि थैलियों में कैरी बैग था या नहीं। प्लास्टिक की थैली सभी प्रतिबंधित थी जो मैटेरियल जब्त किया गया वो आज कोर्ट में पेश नहीं कर सकता। उसे याद नहीं कि बरवक्त जब्ती मुलजिम ने यह कहा हो कि उसका सामान मैटेरियल प्लास्टिक पैकिंग और प्रतिबंधित कैरी बैग नहीं हो उसके बावजूद भी जब्त कर लिया उसे याद नहीं।

14. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन को संदेह से परे जाकर यह साबित करना था कि अभियुक्त की दुकान में जो माल बरामद/सीज हुआ था वह धारा 15 सहपठित धारा 19 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिबंधित था। इस संबंध में न्यायालय के समक्ष जब्ती के गवाहान पीडब्लू 4 प्रवीण, पीडब्लू 3 सत्यनारायण, पीडब्लू 2 राकेश शर्मा, व पीडब्लू 1 हेमन्त स्वरूप माथुर न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं। यदि उक्त गवाहान की साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाये तो हस्तगत प्रकरण में गवाह पीडब्लू 3 सत्यनारायण ने दौराने बयान यह कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी 2 जब्ती में अंकित प्लास्टिक पैकिंग मैटेरियल कौनसा था। गवाह पीडब्लू 4 प्रवीण दौराने बयान यह कथन करता है कि वह प्रतिबंधित थैली व प्लास्टिक मैटेरियल थैली में अंतर नहीं बता सकता। वो नहीं बता सकता कि थैलियों में कैरी बैग था या नहीं। जब्ती के अन्य गवाह पीडब्लू 2 राकेश शर्मा ने दौराने बयान कथन किया है कि प्लास्टिक बैग व प्लास्टिक का कैरी बैग उसके लिए समान चीज है। वो नहीं बता सकता कि जब्त 158 किलो 900 ग्राम सामान में कितनी थैलियां थी और कैरी बैग थे। गवाह पीडब्लू 1 हेमन्त स्वरूप माथुर के बयानों से भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मुलजिम से जब्तशुदा माल अधिनियम

के अंतर्गत प्रतिबंधित था या नहीं। इस प्रकार जब्ती के समस्त गवाहान ने न्यायालय के समक्ष दौराने बयान यह स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया है कि अभियुक्त से जो माल बरामद हुआ था वह अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हो। गवाहान ने मुलजिम से जो माल बरामद किया गया है उस बाबत कोई विनिर्दिष्ट कथन नहीं किए हैं। ऐसे में गवाहान यह कहने में असमर्थ हैं कि मुलजिम से किस प्रकार का माल बरामद किया गया था। पत्रावली पर मौजूद समस्त गवाहान ने अधिनियम के तहत किस प्रकार का माल प्रतिबंधित था इस बाबत अनभिज्ञता जाहिर की है।

15. साथ ही हस्तगत प्रकरण में जो माल मुलजिम से जब्त किया गया है वह दौराने साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में गवाह पीडब्लू 1 हेमन्त स्वरूप माथुर की यह साक्ष्य रही है कि जब्तशुदा प्रतिबंधित सामान डॉ. सत्यनारायण शर्मा को सुपुर्द किया था। जब्त किए गए माल को सीलचिट किया की नहीं इस बाबत उसे जानकारी नहीं है। गवाह पीडब्लू 2 राकेश शर्मा की यह साक्ष्य रही है कि आज के समय माल कहां पर है वह नहीं बता सकता। उसने सत्यनारायण शर्मा को देने के बाद उक्त माल नहीं देखा। गवाह पीडब्लू 3 सत्यनारायण की साक्ष्य रही है कि जब्तशुदा थैलियां जब जब्त की थी उसके बाद उसने उन्हें नहीं देखा और वह नहीं बता सकता कि थैलियां वर्तमान में कहा है। गवाह पीडब्लू 4 प्रवीण कुमार की यह साक्ष्य रही है कि आज के समय उक्त माल कहां है वो नहीं बता सकता। इस प्रकार उक्त समस्त गवाहान की साक्ष्य से प्रकरण में जब्ती का बिन्दु संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष जब्तशुदा माल पेश नहीं किया गया है व गवाहान द्वारा यह कथन करने में भी असमर्थता जाहिर की है कि प्रकरण में जब्तशुदा माल को जब्ती के बाद कहां रखा गया व वर्तमान में वह माल कहां है व किस अवस्था में है। पत्रावली पर जब्तशुदा माल की फोटोग्राफ भी उपलब्ध नहीं है व साथ ही पत्रावली पर माल के निस्तारण बाबत कोई पंचनामा भी मौजूद नहीं है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में मुलजिम से किस प्रकार का माल बरामद हुआ था व क्या वह माल अधिनियम के तहत प्रतिबंधित था या नहीं इस बाबत संदेह उत्पन्न होता है। ऐसे में जब्तशुदा माल के न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण भी जब्ती के तथ्य में संदिग्धता उत्पन्न होती है। आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ बचाव पक्ष को मिलना चाहिए।

17. अतः प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए मुलजिम के विरूद्ध धारा 15 सहपठित धारा 19 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है, जिसके आधार पर अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध धारा 15 सहपठित धारा 19 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

18. परिणामस्वरूप अभियुक्त मैसर्स पूनम ट्रेडर्स पीर मीठा गली लक्ष्मी चौक अजमेर जरिये हेमन्त पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह बुरड को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 15 सहपठित धारा 19 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19. अभियुक्त की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में पेश किए गए जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

20. प्रकरण में जब्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे इस आशय की संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

(तन्वी माथुर)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, अजमेर

21. निर्णय आज दिनांक 18-08-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तन्वी माथुर)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, अजमेर